

प्रेस नोट

थाना उसहैत पुलिस द्वारा किया गया अवैध शस्त्र निर्माण गिरोह का भंडाफोड़, अवैध शस्त्र फैक्ट्री व शराब बनाने वाली भट्टी समेत 08 अभिगण गिरफ्तार ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं संकल्प शर्मा के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक नगर बदायूं के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी महोदय उझानी तथी प्रभारी निरीक्षक उसहैत के कुशल नेतृत्व में अवैध शस्त्रों के निर्माण एवं रखने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 13.09.2020 को थाना उसहैत पुलिस द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना पर ग्राम कमलईयापुर के खेतों में गंगा के टापू पर हो रहे अवैध शस्त्र निर्माण एवं अवैध शराब निर्माण करने वालों को दो अवैध शस्त्र फैक्ट्री व दो अवैध शराब बनाने वाली भट्टी समेत कुल 08 अभिगण को गिरफ्तार किया गया । जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 202/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 203/20 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 204/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम, मु0अ0सं0 205/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 206/20 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट तथा मु0अ0सं0 207/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभिगण का नाम पता-

1. रामकृष्ण पुत्र माखन लाल निवासी ग्राम पथरामई थाना उसहैत जनपद बदायूं,
2. अजयवीर पुत्र रामकृष्ण निवासी ग्राम पथरामई थाना उसहैत जनपद बदायूं,
3. सत्यवीर पुत्र रामकृष्ण निवासी ग्राम पथरामई थाना उसहैत जनपद बदायूं,
4. मुकेश पुत्र वेदराम निवासी ग्राम शहवाजपुर थाना सहसवान जनपद बदायूं,
5. रामबरन पुत्र रामदयाल निवासी ग्राम कमलैयापुर थाना उसहैत जनपद बदायूं,
6. सर्वेश पुत्र पहलवान निवासी ग्राम खेड़ा जलालपुर थाना उसहैत जनपद बदायूं,
7. हरपाल पुत्र रामअवतार निवासी कैला थाना कलान जनपद शाहजहांपुर,
8. मुश्ताक पुत्र अख्तर हुसैन निवासी वार्ड न0-07 कस्बा व थाना उसहैत जनपद बदायूं ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रामकृष्ण उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0-763/2009 धारा- 302/201 IPC
2. मु0अ0सं0- 161/20 धारा- 323/324/504 IPC थाना उसहैत, बदायूं
3. मु0अ0सं0 202/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट,
4. मु0अ0सं0 203/20 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट,
5. मु0अ0सं0 204/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अजयवीर उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 203/20 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट,
2. मु0अ0सं0 204/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सत्यवीर उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 203/20 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट,
2. मु0अ0सं0 204/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मुकेश उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 203/20 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट,
2. मु0अ0सं0 204/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रामबरन उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 205/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट,
2. मु0अ0सं0 206/20 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट,
3. मु0अ0सं0 207/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सर्वेश उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 206/20 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट,
2. मु0अ0सं0 207/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम

आपराधिक इतिहास अभियुक्त हरपाल उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 206/20 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट,
2. मु0अ0सं0 207/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मुश्ताक उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0-193/19 धारा- 379/411 IPC
2. मु0अ0सं0- 122/19 धारा- 3/25 A Act
3. मु0अ0सं0- 692/16 धारा- 380/457 IPC
4. मु0अ0सं0 21/15 धारा 60 Ex Act

5. क्र0स0- 22/20 धारा- 110 जी दं0प्र0स0 थाना उसहैत बदायूं

6. मु0अ0सं0 206/20 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट,
7. मु0अ0सं0 207/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम

02 शस्त्र फैक्ट्री से बरामद माल (बने शस्त्र)-

1. तमंचा 315 बोर - 6

2. तमंचा 12 बोर -05
3. रायफल 315 बोर- 02
4. पौनिया (अद्धा) 315 बोर- 02
5. पौनिया 12 बोर - 01
6. बन्दूक 12 बोर- 02

02 शस्त्र फैक्ट्री से बरामद माल (अधबने शस्त्र)-

1. तमंचा 12 बोर - 01
2. तमंचा 315 बोर - 04
3. बंदूक 12 बोर - 01
4. कोयला पंखा एवं गैस कटर- 02
5. ड्रिल मशीन - 02
6. शिकंजा- 02
7. अन्य शस्त्र निर्माण के प्रयोग मे लायी जाने वाली सामग्री ।

शराब भट्टी से बरामद माल का विवरण-

1. 05 जरी कैनों मे करीब 20-20 लीटर शराब खाम
2. एक गैस सिलिण्डर मय गैस चूल्हा, बडा पतीला, स्टील की बडी टंकी व अन्य उपकरण
3. 200 लीटर लहन ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- 1.30नि0 राजेश कुमार, 2. 30नि0 जोगेन्द्र सिंह, 3. कां0 156 अमित कुमार, 4. कां0 874 हरीश कुमार, 5. कां0 916 राजू कुमार, 6. कां0 1721 नवीन, 7. कां0 949 नाजिम, 8. कां0 345 फिरोज आलम पाशा, 9. कां0 940 आलोक कुमार, 10. कां0 1902 मनोज कुमार थाना उसहैत जनपद बदायूं ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं द्वारा थाना उसहैत पुलिस टीम द्वारा किये गये सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए पुलिस टीम को 15,000 रुपये की नगद धनराशि से पुरस्कृत किया गया ।

सोशल मीडिया सेल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

जनपद बदायूं ।